

न्यायालय—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—343 / 2014
संस्थित दिनांक—28.04.2014
फाईलिंग क.234503003542014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

सम्राटसिंह उइके पिता नेवलसिंह, उम्र—30 वर्ष,
निवासी—निक्कुम थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक—23 / 06 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—26.03.2013 को समय 15:00 बजे ग्राम भौरगढ़ जंगल, मण्डई थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन न्यू सोल्ड महिन्द्र बोलेरो इंजन क्रमांक — जी. पी. ई. 4. बी .66605, चेचिस क्रमांक एम.ए.1.पी. एस. 2. जी. पी.के. ई.5.बी.5—2440 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर पेड़ से टकरा दिया था, जिससे वाहन में बैठे आहतगण चैतराम, विकास को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की थी।

2— प्रकरण में फरियादी विकास नेमा के राजीनामा आवेदन के आधार पर अभियुक्त को विकास नेमा के संबंध में भा.दं.सं. की धारा—337 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विकास नेमा ने पुलिस थाना मलाजखण्ड में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक—26.03.

2013 को 03:00 बजे दिन में फरियादी अपने दोस्त भानुप्रताप उइके, चैतराम उइके के साथ महिन्द्र की बोलेरो सोल्ड एस.एल.एक्स.एम.पी.20.बी.टी.सी.जे.बी.पी. 74 में बैठकर मण्डई से मलाजखण्ड आ रहा था। गाडी को सम्राट उइके निक्कुम वाला चला रहा था। जैसे ही वह लोग भौरगढ़ के जंगल शारदा मंदिर के आगे मोड़ पर पहुंचे थे तो ड्रायवर ने तेज रफतार एवं लापरवाही से खतरनाक तरीके से गाड़ी को चलाकर लेंडिया के पेड़ में ठोस मार दिया था। जिससे गाड़ी पलट गयी थी और क्षतिग्रस्त हो गयी थी। गाड़ी पलट जाने से उसे दाहिने मस्तिष्क में, बाएँ हाथ की उंगली में, दायें पैर में चोट आयी थी और चैतराम उइके को दाहिने हाथ की कलाई में चोट आयी थी। उक्त घटना को भानुप्रताप एवं चैतराम उइके ने देखा था। पुलिस थाना मलाजखण्ड ने फरियादी/आहतगण का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-45/2014 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-26.03.2013 को समय 15:00 बजे ग्राम भौरगढ़ जंगल, मण्डई थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन न्यू सोल्ड महिन्द्र बोलेरो इंजिन क्रमांक- जी.पी.ई.4बी.66605, चेचिस क्रमांक एम.ए.1पी.एस.2जी.पी.के.ई.5बी.5-2440 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आपने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर पेड़ से टकरा दिया, जिससे वाहन में बैठे आहतगण चैतराम को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

7- प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस कारण उक्त दोनों विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8- विकास नेमा अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना न्यायालयीन कथनों से एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को अभियुक्त साक्षी बुलेरो वाहन में बैठकर मंडई से मलाजखण्ड आ रहा था। उक्त वाहन में साक्षी के साथ भानुप्रताप, चैतराम एवं अभियुक्त भी था। घटना के समय वाहन को अभियुक्त चला रहा था। वाहन बंजारी मंदिर के मोड़ पर पहुंचा था तो सामने से एक बंदर आ गया था। जिसको बचाने का प्रयास करने पर वाहन रोड के साईड में उतरकर पेड़ से टकरा गया था। साक्षी के साथ बैठे व्यक्तियों को खरौंच आयी थी। घटना की रिपोर्ट साक्षी ने थाना बिरसा में की थी जो प्र.पी.01 है। पुलिस ने साक्षी का ईलाज शासकीय अस्पताल बिरसा में करवाया था। पुलिस को साक्षी ने घटनास्थल बताया था। पुलिस ने साक्षी के समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 बनाया था। पुलिस ने साक्षी के कथन नहीं लिये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाकर पेड़ से टकरा दिया था। साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.01 की रिपोर्ट में यह लेख है ड्रायवर ने तेज रफ्तार व लापरवाही से खतरनाक तरीके से गाड़ी को चलाकर लेंडिया के पेड़ से टक्कर मार दिया था। जिससे गाड़ी पलट गयी थी एवं क्षतिग्रस्त हो गयी थी। साक्षी ने प्र.पी.01 की रिपोर्ट लिखाना स्वीकार किया है। परंतु साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.03 का कथन देने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त वाहन को धीमी गति से चला रहा था तभी अचानक बंदर आने के कारण उसको बचाने के लिए वाहन रोड़ के नीचे उतार दिया था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना में उसे गंभीर चोट नहीं लगी थी।

9- चैतराम उइके अ.सा.02 का कथन है कि वह अभियुक्त एवं आहत विकास को जानता है। घटना न्यायालयीन कथनों से एक वर्ष पूर्व की भौरा के जंगल की है। इसके अतिरिक्त घटना के बारे में साक्षी को जानकारी नहीं है। साक्षी से पुलिस ने बयान नहीं लिये थे। साक्षी के समक्ष अभियुक्त से प्र.पी.04 की जप्ती

पंचनामा की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी एवं प्र.पी.05 का गिरफ्तारी पंचनामा भी तैयार नहीं किया गया था। साक्षी ने प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 के गिरफ्तारी पंचनामा पर हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त ने वाहन तेज गति व लापरवाही से चलाकर पेड़ से टकरा दिया था। साक्षी ने सुझाव में यह भी अस्वीकार किया है कि वाहन के पेड़ से टकराने के कारण उसे एवं विकास को चोट आयी थी। साक्षी ने प्र.पी.06 पुलिस कथन के ए से ए भाग को देने से इंकार किया है। इस साक्षी की साक्ष्य से ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आये हैं जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

10— भानुप्रताप अ.सा.03 का कहना है कि वर्ष 2014 में उसे जानकारी लगी थी कि एक बुलेरा भौरगढ़ के जंगल में रोड़ के नीचे उतर गयी थी। वाहन कौन चला रहा था एवं वाहन में कौन-कौन बैठे थे साक्षी को इसकी जानकारी नहीं है। साक्षी चैतराम व विकास को जानता है। पुलिस ने साक्षी के समक्ष अभियुक्त से जप्ती पंचनामा प्र.पी.04 के अनुसार न्यू सोल्ड महिन्द्रा बुलेरो वाहन मय दस्तावेज के जप्त नहीं की थी एवं अभियुक्त को प्र.पी.04 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार भी नहीं किया था। साक्षी ने जप्ती पंचनामा प्र.पी.04, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 पर हस्ताक्षर होने से इंकार किया है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन होता हो।

11— राजेन्द्र नेमा अ.सा.04 का कथन है कि वह अभियुक्त एवं आहत चैतरामा को नहीं जानता है तथा आहत विकास को जानता है। घटना न्यायालयीन कथनों से दो-तीन वर्ष पूर्व की बिरसा के आगे की जंगल की है। विकास का एक्सीडेंट हो गया था। विकास ने एक्सीडेंट के बारे में फोन करके बताया था। इस कारण साक्षी बिरसा थाने पहुंचा था। पुलिस जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उस बुलेरो वाहन को घटनास्थल से थाने पर लेकर गयी थी। टक्कर लगने के कारण विकास को चोट आयी थी। परंतु साक्षी को पता नहीं है कि घटना में किसकी गलती थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं

किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.01 में न्यू सोल्ड बुलेरो के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक खरतनाक तरीके से वाहन चलाकर लेड़िया के पेड़ में टक्कर मारकर वाहन को पलटा दिया था। यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है इस कारण इस साक्षी की साक्ष्य से घटना का समर्थन नहीं होता है।

12— प्रश्नाधीन प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट विकास ने थाना बिरसा में लेखबद्ध करायी थी। प्रकरण में विकास एवं चैतलाल आहत हैं। इस साक्षीगण ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। भानुप्रताप अ.सा.03 ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। प्रकरण में अन्य कोई घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। विकास अ.सा.01, चैतराम अ.सा.02, भानुप्रताप अ.सा.03, राजेन्द्र नेमा अ.सा.04 की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। अभियोजन पक्ष ने प्रकरण में परीक्षित करायी थी साक्षीगण की साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर ग्राम भौरगढ़ के जंगल मण्डई थाना बिरसा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन न्यू सोल्ड महिन्द्रा बुलेरो इंजन क्रमांक इंजिन क्रमांक— जी.पी.ई.4बी.66605, चेचिस क्रमांक एम.ए.1पी.एस.2जी.पी.के.ई.5बी.5—2440 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर उक्त वाहन में बैठे चैतराम को चोट पहुंचाकर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं आहत चैतराम के संबंध में अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन न्यू सोल्ड महिन्द्रा बुलेरो पंजीयन क्रमांक एम.पी.50/सी.ई.—1061, इंजन नम्बर—जी.पी.ई.4बी.66605, चेचिस नम्बर एम.ए.1पी.एस.2जी.पी.के.ई.5बी.5—2440 आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय

अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)